

समस्त

अपर आयुक्त रोड - 1, राज्य कर

अपर आयुक्त रोड - 2 (वि0अनु0शा0), राज्य कर

संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0 / कार्यपालक), राज्य कर

उत्तर प्रदेश।

विषय: वि0अनु0शा0 संदर्भित वादों के निस्तारण संबंधी MIS Module में यथा संशोधित "SMS-04" में फीडिंग किए जाने विषयक।

महोदय,

विभागीय MIS module के sub-module GST MIS (New Format) के Adjudication टैब शीर्षक में वि0अनु0शा0 वादों के निस्तारण संबंधी SMS-04 से आप अवगत हैं। SMS-04 के पूर्व कॉलम - 11 Determination Proceeding Concluded में अस्पष्टता के कारण भ्रम की स्थिति बनी हुई थी जिसके कारण कुल प्रेषित प्रतिवेदन व अंतिम पेंडिंग वादों के आंकड़ें मैच नहीं हो रहे थे। आयुक्त महोदया द्वारा उक्त आंकड़ों को शीघ्र संशोधित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके अनुपालन में SMS-04 के कॉलम - 06 व कॉलम - 11 में निम्न प्रकार आंशिक संशोधन किया गया है -

कॉलम - 06 में की जाने वाली एंटी: कॉलम - 06 के शीर्षक Closed Cases को संशोधित कर नया शीर्षक "Cases Closed by SIB Unit / Exit Committee" किया गया है जिसके अंतर्गत ऐसे वाद जो वि0अनु0शा0 इकाई अथवा जोन स्तर पर गठित Exit Committee द्वारा जांचोपरांत क्लोज किए गए हैं, उसकी सूचना Cases Closed by SIB Unit / Exit Committee अर्थात् कॉलम - 06 में अंकित की जाएगी।

कॉलम - 11 में की जाने वाली एंटी: प्रतिवेदन प्राप्त के पश्चात न्याय-निर्णयन अधिकारी द्वारा जारी SCN (कॉलम - 09) के अनुपालन में यदि व्यापारी द्वारा समयान्तर्गत कर / अर्थदण्ड / जुर्माना की धनराशि DRC-03 के माध्यम से जमा कर दी जाती है तब Determination Proceeding Conclude मानते हुए उसकी एंटी कॉलम - 11 में की जाएगी, तथा इस पर किसी अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी।

कॉलम - 12 में की जाने वाली एंटी: प्रतिवेदन प्राप्त के पश्चात न्याय-निर्णयन अधिकारी द्वारा जारी SCN (कॉलम - 09) के क्रम में यदि न्याय-निर्णयन की कार्यवाही संपादित की जाती है तब इस प्रकार के Determination Proceeding Conclude की एंटी कॉलम - 12 में की जाएगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि GST अवधि के वर्ष 2017-18 एवं आगामी वर्षों के वि0अनु0शा0 जांच संबंधी समस्त मामलों का अनुश्रवण अपने स्तर से करते हुए प्रत्येक दशा में दिनांक: 10-02-2023 तक संशोधित आंकड़ों की फीडिंग कराना सुनिश्चित करें। एंटी module निश्चित समयावधि के लिए ही open किया गया है, अतः प्राथमिकता अपेक्षित है।

(ओम प्रकाश वर्मा)

अपर आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश।